छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यक कर (आबकारी) विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर–492002

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 26, मई 2016

क्रमांक एफ 10–31/2016/वा.कर(आब.)/पाँच (58) – छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30,सन् 1936) की धारा 8 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर नियम, 1942 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

1. उक्त नियमों में, नियम 8–ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :–

" 8–ग. मनोरंजन शुल्क का संदाय–

(1.1) किसी मनोरंजन का स्वामी मनोरंजन शुल्क का संदाय अनिवार्य रूप से **'ई–चालान'** के माध्यम से खजाने में जमा करेगा।

(1.2) किसी मनोरंजन का स्वामी एक दिन में होने वाले प्रत्येक अवसर, प्रदर्शन या प्रदर्शनी शो के लिये बेचे गए टिकिटों के संबंध में पृथक–पृथक सही हिसाब **"प्रारूप टी"** में बनाएगा एवं उसकी विवरणी प्रति सप्ताह जिलाध्यक्ष को ऑन–लाईन के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

(1.3) मनोरंजन कर स्वामी मनोरंजन शुल्क के अतिरिक्त, अतिरिक्त कर, शास्ति, ब्याज, संधान शुल्क आदि भी छत्तीसगढ़ शासन, आबकारी विभाग के बेवसाइट https://excise.cg.nic.in द्वारा ऑन लाईन ई–चालान के माध्यम से जमा करेगा।

यदि उपरोक्त बेवसाइट 3 दिन या इससे अधिक बाधित होती है तो कोषालय के तकनीकी विशेषज्ञ के लिखित प्रमाण पत्र के आधार पर जिलाध्यक्ष द्वारा बैंक चालान के माध्यम से शुल्क अदायगी की अनुमति दी जा सकेगी। उपरोक्त भुगतान विधि बाधित समयावधि के लिये ही मान्य होगी।

2. प्रारूप "एस" के पश्चात् निम्नलिखित प्रारूप–टी जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"प्रारूप–टी"
(नियम 8–ग देखिए)

दिनांक	कर सम्मिलित करते हुए वर्ग के टिकिटों का मूल्य	टिकिटों की संख्या	प्रारंभिक शेष अनुक्रमांक		टिकिटों की संख्या
			से	तक	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)

प्राप्त टिकिटों की संख्या		टिकिटों की कुल संख्या स्तम्भ (3) धन स्तम्भ (5)	टिकिटों की कुल संख्या		बेचे गए टिकिटों की संख्या
अनुक्रमांक			अनुक्रमांक		
से	तक		से	तक	
(6)		(7)	(8)		(9)

बेचे गए टिकिटों की संख्या		बिना बिके टिकिटों की संख्या	अनुक्रमांक		प्रत्येक टिकिट का प्रवेश मूल्य (कर सम्मिलित करते हुए)
अनुक्रमांक		बिना बिके टिकिट हाथ में (स्तम्भ 7 ऋण स्तम्भ 9)	से	तक	
से	तक				
(10)		(11)	(12)		(13)

प्रत्येक टिकिट पर मनोरंजन शुल्क	बिके टिकिटों पर देय पूरा कर	ई–चालान क्रमांक, दिनांक एवं अवधि जिससे वह संबंधित है।	अभ्युक्तियां
(14)	(15)	(16)	(17)

....
मनोरंजन स्वामी के हस्ताक्षर

3. उक्त नियमों में, **नियम 17 मनोरंजन के प्रारंभ की पूर्व सूचना** के पश्चात निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए अर्थात् :–

(1) 17–ए मनोरंजन का पंजीयन :– किसी मनोरंजन, जिसमें प्रवेश के लिए कर–संदाय संन्निहित हो, का स्वामी जिलाध्यक्ष को मनोरंजन के लिये नियत दिनांक से कम–से–कम सात दिन पूर्व, मनोरंजन के प्रकार, दिनांक, समय तथा स्थान आदि की **निर्धारित प्रारूप–''यू''** में छत्तीसगढ़ शासन, आबकारी विभाग की बेवसाइट https://excise.cg.nic.in द्वारा ऑन लाईन के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा तथा प्रविष्ट आवेदन पत्र की ऑनलाईन प्रति प्रिन्ट कर पावती के रूप में प्राप्त कर सकेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् जिलाध्यक्ष द्वारा सात कार्य दिवस में आवेदन–पत्र का सत्यापन/जांच कर, पंजीयन करेगा तथा संबंधित आवेदक को ऑन लाईन पंजीयन प्रमाण पत्र प्रारूप यू–ए में जारी करेगा।

परन्तु वर्तमान में जो मनोरंजन का स्वामी मनोरंजन कर का भुगतान कर रहे हैं, उनके द्वारा भी उक्त बेवसाइट के माध्यम से अधिसूचना जारी होने के 60 दिन के अन्दर पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।

4. प्रारूप ''टी'' के पश्चात् निम्नलिखित ''प्रारूप–यू'' व प्रारूप 'यू–'ए' जोड़ा जाए, अर्थात् :–

''प्रारूप–यू''

(नियम 17 ए देखिये)

मनोरंजन के पंजीयन हेतु आवेदन का प्रारूप

आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड

सेवा में,

जिलाध्यक्ष महोदय,

....

महोदय,

(1) आवेदक का नाम/सोसायटी/फर्म/कंपनी का नाम

(2) आवेदक का पूरा स्थायी एवं स्थानीय पता/Email Id, एवं दूरभाष नंबर

(3) आवेदक का पेन नम्बर

(4) सोसायटी/फर्म/कंपनी का पंजीयन एवं मेमोरेण्डम ऑफ एशोसिएशन आर्टिकल की कापी।

(5) आवेदक की आर्थिक स्थिति (गत वर्ष का इन्कम टैक्स रिटर्न की कॉपी)

(6) अधिकृत प्रतिनिधि का नाम

(7) अधिकृत प्रतिनिधि का पूरा स्थायी एवं स्थानीय पता/Email Id, एवं दूरभाष नंबर

(8) अधिकृत प्रतिनिधि का पेन नम्बर

(9) सिनेमा लायसेंस का नम्बर, लायसेंस जारी करने का दिनांक तथा उसकी वैधता अवधि

(10) प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम, जिनके द्वारा लायसेंस जारी किया गया है।

(11) मनोरंजन कार्यक्रम के आयोजन का विवरण (दिनांक, समय एवं स्थान)

(12) विभिन्न श्रेणी के टिकिटों की संख्या एवं दर

(13) टिकिटों की बिक्री से अनुमानित आय।

(14) आवेदन करने का दिनांक

संलग्न– कागजात

(1) पेन कार्ड. की छायाप्रति (2) मनोरंजन हेतु जारी लायसेंस की छायाप्रति (3) सोसायटी/फर्म/कंपनी का पंजीयन एवं मेमोरेण्डम ऑफ एशोसिएशन आर्टिकल की कापी। (4) इन्कम टैक्स रिटर्न की छायाप्रति (5) निवास पता का प्रमाण (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसेंस, टेलीफोन बिल)

घोषणा

यह कि मैंने/हमने (आवेदक ने) छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) व उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं यथा संशोधित छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क नियम, 1942 की शर्तो और निर्बन्धनों को

पूरी तरह पढ़/समझ लिया है और यदि आवेदित लायसेंस/रजिस्ट्रेशन मुझे दिया जाता है तो मैं/हम (आवेदक) इस अनुक्रम में (शासन/आबकारी आयुक्त, कलेक्टर/उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/ जिला आबकारी अधिकारी द्वारा) समय समय पर दिये जाने वाले आदेशों/निर्देशों का सम्यक रूप से पालन करने के लिये प्रतिबद्ध रहूंगा/रहेगें। उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी में पूर्णतः सत्य/सही है। यदि उपरोक्त विवरण जांच के दौरान अथवा लायसेंस/रजिस्ट्रेशन जारी करने के उपरांत असत्य या गलत पाया जाता है तो मेरा/हमारा आवेदन/लायसेंस/रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के दायित्वाधीन होगा और जिससे मेरा/हमारा किसी भी प्रकार की आर्थिक क्षति होगी, जिसकी मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त मैं/हम इस तथ्य से भिज्ञ हूं/हैं कि, असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध भी है तथा मेरे/हमारे विरूद्ध दण्डनीय अपराध दर्ज किया जा सकता है।

दिनांक :

स्थान : आवेदक के हस्ताक्षर.........................

प्रारूप–यू–'ए'

(नियम 17 ए देखिये)

पंजीयन प्रमाण पत्र

मनोरंजन का प्रकार तथा स्थान – ....

पंजीयन क्रमांक – .... जारी करने का दिनांक ....

वैधता तिथि – ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि –

1. मनोरंजन स्वामी का नाम–
2. मनोरंजन स्वामी का पूरा पता–

मकान नं. –

वार्ड/मोहल्ला –

शहर –

जिला –

के मनोरंजन का पंजीयन छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर नियम, 1942 के तहत किया जाता है।

5. उक्त अधिसूचना दिनांक 1/6/2016 से प्रभावशील होगा।

अनुप्रमाणित ....

प्राधिकृत अधिकारी .....

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

A. Tripathi

(ए.पी. त्रिपाठी)

विशेष सचिव

नया रायपुर, दिनांक 26, मई 2016

क्रमांक एफ 10–31 / 2016 / वा.कर(आब.) / पाँच (58) – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (तीन) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–31 / 2016 / वा.कर(आब.) / पाँच (58) दिनांक 26 मई, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
A. Tripathi
(ए.पी. त्रिपाठी)
विशेष सचिव

Government of Chhattisgarh
Commercial Tax (Excise) Department
Mantralaya
Mahanadi Bhawan, NayaRaipur-492002

NOTIFICATION

New Raipur, Dated : 26/05/2016

No. F-10-31/2016/CT(Ex.)/V (58) - In exercise of the power conferred by Subsection (1) and (2) of Section 8, of The Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisements Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936), the State Government hereby makes the following further amendments in The Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisement Tax Rules, 1942 (as amended):-

Amendment

1. After Rule 8-B of above rules, following should be added:-

8-C. Payment of Entertainment Fees-

(1.1) The proprietor of Entertainment will deposit Entertainment Duty on mandatory basis into the treasury via E-Chalan.

(1.2) The proprietor of Entertainment shall maintain a true account, separately in respect of tickets sold, for each occasion, for the performance or exhibition or show held in a day in Form T. and will submit its return through online to the district collector on weekly basis.

(1.3) In addition to Entertainment Duty the proprietor of Entertainment will also submit Additional Tax, Penalty, Interest, Composition Fees etc. via online E-Chalan through website, https://excise.cg.nic.in of Excise department, Government of Chhattisgarh.

If the above website is disrupted for more than 3 days, then the district collector may permit deposit of duty through Bank Chalan on production written certificate from technical expert of treasury. Above payment will be only valid for the interrupted period.

2. After Form S. following Form T. shall be added :-

"Form T"

[See Rule 8C]

Date	Price of the tickets of the class inclusive of duty	No. of tickets	Opening Balance Serial Nos. From To	No. of Tickets
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

No. of tickets received	Total number of tickets (Column 3 plus Column 5)	Total no. of tickets	No. of tickets sold
Serial Nos.		Serial Nos.	
From To		From To	
(6)	(7)	(8)	(9)

Number of tickets sold	Number of tickets unsold	Serial No.	Price of admission of each ticket (exclusive of duty)
Serial Nos.	Number of unsold tickets on hand (Column 7 minus Column 9)	From To	
From To			
(10)	(11)	(12)	(13)

Entertainment duty on each ticket	Total duty due on the tickets sold	E-challan no., date and period to which it related	Remarks
(14)	(15)	(16)	(17)

Signature of the proprietor (entertainment)

3. After **Rule 17 Previous Intimation of the Commencement of an Entertainment** of above rules, following should be added :-

(1) **17-A. Registration of Entertainment :-** The proprietor of any Entertainment, in which tax-payment is embodied, will submit application to the district collector, seven days before the scheduled date giving details of type of Entertainment, Date, Time, Place etc. in prescribed Form U. online through website, https://excise.cg.nic.in of Excise department, Government of Chhattisgarh. After receipt of application the district collector will verify/check the application and register within seven days and issue Registration Certificate online to the concerned applicant in Form U-A.

Provided that at present the Proprietor of Entertainments who are paying Entertainment Duty, are also required to submit application for Registration through the said website within 60 days from the date from which this Notification takes effect.

4. After Form T. following Form U and Form UA. shall be added :-

"Form U"

[See Rule 17A]

Form for Registration of Entertainment

To

District Collector

____

Upload Passport Size Photo of Applicant

Sir,

(1) Name of Applicant/Society/Firm/Name of Company

(2) Full Permanent Address and Local Address/Email Id and Telephone Number of the applicant

(3) PAN No. of Applicant

(4) Copy of Memorandum of Article of Association of Society/Firm/Company

(5) Financial Status of the applicant (Income Tax return copy of last financial year).

(6) Name of authorized representative

(7) Full Permanent Address and Local Address/Email Id and Telephone Number of the authorized representative

(8) PAN No. of authorized representative

(9) License number of the cinema, the date of issue of license and its validity period.

(10) Designation of Authorised officer by whom license has been issued.

(11) The details of program of Entertainment event (Date, Time and Place)

(12) The rates and numbers of the ticket of different category

(13) The expected income from the sale of tickets

(14) The date of application

Eclosures : Documents

Photocopies of

(1) Pan Card (2) License (3) Registration paper of Society/Firm/Company and Memorandum of Article of Association (4) Income Tax Return (5) Address Proof (Voter Id Card, Aadhar Card, Driving License, Passport, Telephone Bill)

Decleration

I/we have read/understood the rules and conditions of the The Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisements Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936) and The Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisement Tax Rules, 1942 (as amended) made therein and if applied license is granted to me/us then I/we (applicant) are committed to duly follow orders/instructions issued time to time in this sequence by

Government / Excise Commissioner / Collector / Deputy Commisioner / Assistant Commissioner/ District Excise Officer. If the above description is found to be false or wrong during check or after issue of License then my/our application/license/ Registration will be liable to be cancelled, and I will not have any objection for any financial loss incurred due to cancellation, for which I/We will not have any objection. In addition to this this, fact is known to me/us that to give wrong or false statement is a punishable offense and criminal offense can be registered against me/us.

Date:

Place:

Signature of Applicant____________

"Form U"

[See Rule 17A]

Registration Certificate

Type of Entertainment and Place - ________________

Registration No - _____________ Date of issue _______________

Date of Validity - _____________

This is certified that –

1. Name of Proprietor of Entertainment –
2. Complete Address of of Proprietor of Entertainment –

   House No.-

   Ward/ Street –

   City –

   District –

   the Entertainment is registered under The Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisement Tax Rules, 1942

5. The above amendment shall be applicable from 01.06.2016.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

A. Tripathi

(A.P. Tripathi)

Special Secretary